OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI
HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Tele/Fax No. 011-20818735-36, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

NOTIFICATION

DATED: 02/11/2026

No. 7476 **/Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: REVERSION:** The Ad-hoc promotion which was granted to Const.(Exe.) [now ASI/SGD] Bijender Singh, No. 907/T (PIS No. 28872191) to the next higher rank of Head Constable (Exe.) on temperory basis under Rule-19(i) of Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, is hereby withdrawn and he has been reverted to his substantive rank of Constable (Exe.).

C.G.No. P021126-143-0010

No. 7477 **/Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: PROMOTION:** Const. (Exe.) [now ASI/SGD] Bijender Singh, No. 907/T (PIS No. 28872191) whose name exists on Promotion List for the post of HC (Exe.) through seniority cum-suitability is hereby promoted to the rank of Head Constable (Exe.) on regular basis w.e.f. 04.04.2016 and placed on probation for a period of two years from the date of his regular promotion.

However, he will be granted notional promotion in the rank of Head Constable (Exe.) w.e.f. 04.04.2016 to one day before issue of this notification. During this period, he will not be entitled to draw any arrears of pay and allowances (except the sums already paid to him) of the post of HC (Exe.) as per FR-17(i), which speaks that 'an officer shall begin to draw pay and allowance attached to his tenure of post w.e.f. the date when he assumes his duties of that post and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties'. However, this period will, otherwise, be counted towards fixation of his seniority and increments etc.

CG No. P021126-143-0011

(ARUN KUMAR SHARMA)
ADDL. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS-IV: DELHI:

No. 7478-82/Promotion Cell(AC-III)/P.Br./PHQ, dated 02/11/2026

Copy forwarded to the:-

1. DCP/Traffic, Delhi, for information and necessary action. The individual may be informed accordingly against his proper signature & receipt thereof be placed in his Fauzi Missal.
2. ACP IT/PHQ, Delhi.
3. Inspr. Estt./PHQ for publication in D.P.G.
4. I/C Computer/CB for imaging and uploading the order on the website of Delhi Police.
5. ACs/VI, Roster & Register/P.Br.PHQ.

I/C Computer CB

कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली

पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष/फैक्स संख्या 011-20818735, ईमेल: Inspr.p.phq@gmail.com

अधिसूचना

दिनांक 02/11/2026

संख्या :7476 /पदो०प्रकोष्ठ/(एसी-III)/कार्मिक शाखा/पु०मु०:- **प्रत्यावर्तन:-** निम्नलिखित सिपाही (कार्य०) [अब ASI/SGD] बिजेंद्र सिंह, नंबर 907/T (PIS नंबर 28872191) जिनको दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम-19(i) के अनुसार अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर प्र०सि० (कार्य०) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से सिपाही (कार्य०) के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है.

सी.जी. नं. P02\126-143-0010

संख्या: 7477/पदो०प्रकोष्ठ/(एसी-III)/कार्मिक शाखा/पु०मु०: **पदोन्नति**: - सिपाही (कार्य०) [अब ASI/SGD] बिजेंद्र सिंह, नंबर 907/T (PIS नंबर 28872191), जिनका नाम वरिष्ठता और उपयुक्तता (seniority cum-suitability) के आधार पर प्रधान सिपाही (कार्य०) के पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल है, उन्हें 04.04.2016 से नियमित रूप से प्रधान सिपाही (कार्य०) के पद पर पद्दौन्नत किया जाता है। उन्हें उनके नियमित प्रमोशन की तारीख से दो साल की परिवीक्षा अवधि (probation period) पर रखा जाएगा।

हालांकि, उन्हें 04.04.2016 से लेकर इस अधिसूचना के जारी होने से एक दिन पहले तक की अवधि के लिए प्रधान सिपाही (कार्य०) के पद पर 'नोशनल प्रमोशन' (notional promotion) दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, वे प्रधान सिपाही (कार्य०) पद के वेतन और भत्तों के किसी भी बकाया (arrears) को पाने के हकदार नहीं होंगे (सिवाय उन राशियों के जो उन्हें पहले ही दी जा चुकी हैं)। यह FR-17(i) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि 'कोई अधिकारी अपने पद से जुड़े वेतन और भत्ते तब से पाना शुरू करेगा, जब से वह उस पद का कार्यभार संभालता है, और जैसे ही वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देता है, उसे वे वेतन और भत्ते मिलना बंद हो जाएंगे'। फिर भी, इस अवधि को उनकी वरिष्ठता (seniority) तय करने और वेतन वृद्धि (increments) आदि की गणना के लिए गिना जाएगा।

सी.जी. नं. P02\126-143-0011

(अरुण के. शर्मा)
अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस
मुख्यालय-IV: दिल्ली

सं. 7478-82 /पदोन्नति प्रकोष्ठ(एसी-III)का०शा०/पु०मु०, दिनांक 02/11/2026

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित: -

1. डीसीपी/Traffic, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए। उपर्युक्त प्रधान सिपाही (कार्यकारी) को तदनुसार सूचित करने और उनके हस्ताक्षर करवाकर उनकी रसीद उनके फौजी मिसल में रखी जाए।
2. एसीपी/आईटी/पु°मु° दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्था./ पु°मु°, दिल्ली को पुलिस राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
4. Acs/VI,रजिस्टर/कार्मिक शाखा/ पु°मु°।
5. आई/सी कंप्यूटर/गोपनीय शाखा पु°मु° को इस आदेश को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।